

उप लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्ति/ चयन हेतु आवेदन-पत्र  
का प्रारूप

(आवेदन-पत्र भरने से पूर्व कृपया अंत में दिये निर्देश अवश्य पढ़ लें)

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम :  
(क) हिन्दी में :  
(ख) अंग्रेजी में(In capital letters) :
2. पिता/पति का पूरा नाम :
3. जन्मतिथि :
4. स्थायी पता :
5. वर्तमान पता :
6. सम्पर्क सूत्र :  
(क) दूरभाष संख्या एस0टी0डी0 कोड सहित :  
(ख) मोबाइल नम्बर :  
(ग) फ़ैक्स नम्बर :  
(घ) ई-मेल :
7. पैन नम्बर :
8. राष्ट्रियता :
9. श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) :
10. शैक्षिक योग्यता :

पासपोर्ट  
आकार का  
नवीनतम  
छायाचित्र

परीक्षा/ उपाधि	वर्ष	विषय	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
1	2	3	4
हाई स्कूल			
इण्टरमीडिएट			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
प्राविधिक अर्हतायें/शोध कार्य			
अन्य कोई अर्हता (यदि कोई हो) का विवरण			

11. हिन्दी का ज्ञान :
12. वैवाहिक प्रास्थिति :

13. स्वास्थ्य की प्रास्थिति :

14. यदि अभ्यर्थी भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में कार्यरत है या रहा है, तो उसका विवरण :

पद का नाम/ नियुक्ति का स्वरूप	सेवायोजक का नाम एवं पता	प्रथम नियुक्ति की तिथि	अंतिम नियुक्ति का स्थान	अंतिम नियुक्ति के समय वेतन/वेतनमान	पद त्याग की स्थिति में छोड़ने तिथि/कारण	कार्य की प्रकृति/अनुभव
1	2	3	4	5	6	7

15. यदि अभ्यर्थी भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था से अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो चुका है, तो

(क) सेवानिवृत्ति की तिथि :

(ख) जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पदनाम एवं वेतनमान :

(ग) सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक प्राधिकारी/विभाग का विवरण (नाम/पता/दूरभाष/मोबाइल/फैक्स नम्बर/ई-मेल) :

16. उप लोकायुक्त पद की अपेक्षाओं को पूरा करने की योग्यता/अनुभव/विशिष्ट ज्ञान/विशेषज्ञता (यदि कोई हो) का विवरण :

(क) भ्रष्टाचार निवारण, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा/बैंकिंग सहित वित्तीय मामले, विधि एवं प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवकों के अधिष्ठान संबंधी नीतियों इत्यादि के क्रियान्वयन का प्रायोगिक/व्यावहारिक ज्ञान :

(ख) अन्य उपलब्धियाँ :

17. यदि अभ्यर्थी भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में कार्यरत है या रहा है, तो उसके विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच/सतर्कता जांच प्रचलित है या रही है, तो उसकी अद्यतन स्थिति/अंतिम परिणाम :

18. (क) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी आपराधिक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई हो या पंजीकृत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण :

(ख) यदि अभ्यर्थी को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध या अर्थदण्डित किया गया है, तो उसका पूर्ण विवरण :

19. यदि अभ्यर्थी को कभी किसी राजकीय सेवा/अन्य सेवा में लघु/दीर्घ दण्ड दिया गया हो, तो उसका पूर्ण विवरण :

20. विगत 10 वर्षों में जिन-जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवास किया गया हो, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाय।



21. यदि आवेदक भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्तर्गत या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में कार्यरत हैं तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाय :
22. पूर्व में कोई आवेदन-पत्र तो नहीं दिया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण :
23. अन्य कोई विशिष्ट विवरण (जो अभ्यर्थी देना चाहें) :

### घोषणा-पत्र

मैं ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री/श्रीमती ..... इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन-पत्र में अंकित तथ्य मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण हैं और यदि उसमें कोई असत्य विवरण पाया जाये अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया पाया जाये अथवा अधूरा पाया जाये, तो मुझे अपात्र समझा जाये और यदि चयन हो गया हो तो सेवा से पदच्युत कर दिया जाये।

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम

पता

### निर्देश

1. जो स्तम्भ लागू न हों, उनके आगे "लागू नहीं" अंकित कर दिया जाये। कोई भी स्तम्भ यथासम्भव रिक्त न छोड़ा जाये।
2. आवेदन-पत्र यथासम्भव अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख में हिन्दी (देवनागरी लिपि) में भरा जाये।
3. संबंधित विवरण की पुष्टि में यथासम्भव संगत अभिलेखों की स्वप्रमाणित स्पष्ट छायाप्रतियाँ संलग्न की जायें।
4. आवेदन-पत्र भरते समय उ०प्र० लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) की धारा-4 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता/अनर्हता का ध्यान रखा जाये।
5. आवेदन-पत्र अंतिम तिथि तक एक बन्द लिफाफे में प्रमुख सचिव, सतर्कता अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं या नियत समय-सीमा में किसी भी कार्य-दिवस में सायं 06:00 बजे तक स्वयं अपने द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा सतर्कता अनुभाग-4, कक्ष संख्या-21, प्रथम तल, बहुखण्डी भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ में सीधे प्राप्त कराये जा सकते हैं। सतर्कता अनुभाग-4 का दूरभाष संख्या-0522-2213857 है।
6. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन-पत्र दिये गये हैं, यदि वे चाहें तो इस प्रारूप पर पुनः आवेदन कर सकते हैं।